



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-11, ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: संख्या / सम्पत्ति / ETA01 / 2013 / 123

दिनांक : 23-May-2018

सेवा में,

NIRMAL DALAL

S/o W/o D/o RAVINDER SINGH DALAL

B-192, SECTOR-19 NOIDA GAUTAM BUDH NAGAR
201301

आवंटन संख्या : ETA0164125

भूखण्ड/भवन सं० 80

सेक्टर : ETA-01

ब्लॉक : C

क्षेत्रफल : 300.00 वर्गमीटर

महोदय/महोदया,

आपके पक्ष में आवंटित आवासीय भूखण्ड/भवन सं० 80 सैक्टर ETA-01 ब्लॉक C ग्रेटर नौएडा कुल क्षेत्रफल 300.00 वर्गमीटर राजस्व ग्राम sakipur/rasulpur की सीमान्तगत आता है। ग्राम sakipur/rasulpur के साथ कुल 38 ग्राम के काश्तकारों द्वारा भू-अर्जन निरस्तीकरण की याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर की गई थी। इन याचिकाओं को एकजाई करते हुये मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 37443/2011 गजराज एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य में दिनांक 21-Oct-2011 को आदेशित किया गया है कि काश्तकारों को अभी तक मिल चुके प्रतिकर के अतिरिक्त 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाये। मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह भी निर्देश है कि प्राधिकरण यह निर्णय करेगा कि इस अतिरिक्त प्रतिकर आदि का किस अनुपात में अपने आवंटियों से वसूल करेगा।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप कुल 38 राजस्व ग्रामों के काश्तकारों को अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाना है। इस राशि की गणना करने पर पाया गया है कि आवासीय भूखण्डों/भवनों के आवंटियों पर इसका अतिरिक्त व्ययभार आवंटन दर के अतिरिक्त 1465 रुपये प्रति वर्गमीटर आता है, जिसका भुगतान आवंटियों से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। सूचित करना है कि यह प्रतिकर धनराशि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होने के कारण मॉगी जा रही है।

उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि उक्त मद में निम्नवर्णित अतिरिक्त प्रतिकर राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। आपके आवासीय भूखण्डों/भवन पर 300.00 X 1,465.00 कुल 439500.00 रु० की देयता बनती है। कृपया इस धनराशि का 4 समान अर्धवार्षिक किस्तों में निम्नानुसार जमा कराने का कष्ट करें।

Particular	Due Date	Principal	Interest	Due Amount
Inst-01	26-Nov-2018	109875.00	0.00	109875.00
Inst-02	26-May-2019	109875.00	0.00	109875.00
Inst-03	26-Nov-2019	109875.00	0.00	109875.00
Inst-04	26-May-2020	109875.00	0.00	109875.00

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित धनराशि नियत समय के अन्दर प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार प्रचलित दर 14.00% वार्षिक दण्ड ब्याज आरोपित किया जायेगा।

भवदीय,

प्रबंधक (सम्पत्ति)